संख्या:54/2022/1806ई-2/तेरह-2022-1667620

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 02 नवम्बर, 2022**

विषय: **मेसर्स सरोधर हॉस्पिटेलिटी प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय 47-डी, डी.डी.ए. फ्लैट, नियर शिव मंदिर, मान सरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली ईस्ट-23 द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट ''बाईस्कोप द गजल स्काई बार एण्ड लाउंज (ए यूनिट ऑफ सरोधर हॉस्पिटेलिटी प्रा. लि.), एच-1 ए/33 सेक्टर 63, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-238/दो-प्रा.एम.बी.(21)/लघु यवासवनी, दिनांक 28-10-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28-10-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स सरोधर हॉस्पिटेलिटी प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय 47-डी, डी.डी.ए. फ्लैट, नियर शिव मंदिर, मान सरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली ईस्ट-23 द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट ''बाईस्कोप द गजल स्काई बार एण्ड लाउंज (ए यूनिट ऑफ सरोधर हॉस्पिटेलिटी प्रा. लि.), एच-1 ए/33 सेक्टर 63, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को 114 लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 39,900 लीटर वार्षिक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने हेतु माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना किये जाने हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा:-

(1) उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु उल्लिखित नियम एवं शर्तें।

(2) इकाई को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल एवं वायु हेतु निर्गत कन्सेन्ट टू इस्टेब्लिश आर्डर दिनांक 27-09-2022 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) इकाई द्वारा माइक्रो ब्रिवरी चलाये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कन्सेन्ट टू आपरेट प्राप्त कर आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराते हुये उसमें उल्लिखित नियमों व शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

(4) इकाई द्वारा स्थानीय जल उपयोगिता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(FSSAI) से रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में विहित व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(5) आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर कोई आबकारी राजस्व बकाया नहीं है।

(6) उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।